# षोडश बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.04.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री श्याम रजक, स०वि०स०<br>श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स०<br>श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री सुबोध राय, स०वि०स०<br>श्री हरिनारायण सिंह, स०वि०स०<br>श्री मो० इलियास हुसैन, स०वि०स०<br>श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स०<br>श्रीमती पूर्णिमा यादव, स०वि०स०<br>श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स०<br>श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०<br>श्री फराज फातमी, स०वि०स०<br>श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० | राज्य के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गया सहित कई अन्य जिलों में भारी पैमाने पर खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है । खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कालाबाजारी करने वाले व्यवसायी एक ओर तो राजस्व की चोरी कर रहे हैं एवं दूसरी ओर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । खाद्य तेल यथा सरसों तेल, वनस्पति तेल, रिफाईन तेल इत्यादि में नकली तेल एवं मोबिल मिलाकर इसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम कीमत पर आपूर्ति कर आमजनों को ठगा जा रहा है । इसके उपयोग से आमजनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है एवं बिमारी से ग्रसित हो रहे हैं तथा इलाज के अभाव में उनकी अकाल मृत्यु भी हो रही है । राज्य के राजस्व की हानि एवं आमजनों के स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह काफी गंभीर विषय है ।<br><br>अतएव खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावटखोरी के धंधे को बन्द करने तथा दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० | बिहार में लाईसेंसधारी होमियोपैथिक दवा कंपनियाँ, जिनमें से कुछ 25 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, होमियोपैथिक दवाएं बनाने का काम कर रही है । बिहार में निर्मित होमियोपैथिक दवाएं बिहार तथा बिहार के बाहर कई राज्यों में बिक्री की जाती है । ऐसी स्थिति में बिहार की दवा कंपनी को बंद किया जाना और कंपनियों का लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने से बिहार के दवा उद्योग को भारी क्षति पहुंचेगी । इस व्यवसाय पर आधारित सभी लोग बेरोजगार हो जायेंगे । पूरे भारतवर्ष में कहीं भी होमियोपैथिक दवा के निर्माण पर पाबंदी नहीं है ।<br>अत: होमियोपैथिक दवा के निर्माण जारी रखने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । | स्वास्थ्य |

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/16- 677 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2016 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1.4.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/16- 677 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अप्रील, 2016 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

1.4.16

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

01/04/16